न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी संजू मीणा) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./29/2021

1. धारी पुत्र गोकल जाति गुर्जर निवासी बड़ला उर्फ काला तालाब तहसील भिनाय अजमेर
2. रंगलाल पुत्र गोकल जाति गुर्जर निवासी बडला उर्फ काला तालाब तहसील भिनाय अजमेर
3. रूड़मा पुत्र गोकल जाति गुर्जर निवासी बडला उर्फ काला तालाब तहसील भिनाय अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. रामलाल पुत्र सुरजमल जाति गुर्जर निवासी बडला उर्फ काला तालाब तहसील भिनाय
2. गिरधारी पुत्र सुरजमल जाति गुर्जर निवासी बड़ला उर्फ काला तालाब तहसील भिनाय
3. पप्पु पुत्र सुरजमल जाति गुर्जर निवासी बडला उर्फ काला तालाब तहसील भिनाय
4. दुदा पुत्र लादू जाति गुर्जर निवासी बडला उर्फ काला तालाब तहसील भिनाय
5. हरलाल पुत्र लादू जाति गुर्जर निवासी बड़ला उर्फ काला तालाब तहसील भिनाय
6. सोलाल पुत्र लादू जाति गुर्जर निवासी बडला उर्फ काला तालाब तहसील भिनाय
7. सोराज पुत्र इन्दा जाति गुर्जर निवासी बड़ला उर्फ काला तालाब तहसील भिनाय
8. रामस्वरूप पुत्र इन्द्रा जाति गुर्जर निवासी बड़ला उर्फ काला तालाब तहसील भिनाय
9. भागचन्द पुत्र इन्द्रा जाति गुर्जर निवासी बड़ला उर्फ काला तालाब तहसील भिनाय
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर))

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– धर्मवीर बामणिया
2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा बड़ला उर्फ काला तालाब पटवार क्षेत्र बड़ला उर्फ काला तालाब भू0अ0नि0 क्षेत्र नागोला के खाता सं0 130 में दर्ज खसरा नं. 2877 रकबा 0.13 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.13 है0 और खाता सं0 142 में दर्ज खसरा नं. 2876 रकबा 0.02 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.02 है0 जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 9 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 10 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 1 लगा0 9 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली में अप्रार्थी सं. 1 लगायत 9 के विरूध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली पत्रावली में पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण [illegible] खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का [illegible] या। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम [illegible] से स्वीकार किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:48:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मौजा बड़ला उर्फ काला तालाब पटवार क्षेत्र बडला उर्फ काला तालाब भू0अ0नि0 क्षेत्र नागोला के खाता सं0 130 में दर्ज खसरा नं. 2877 रकबा 0.13 हैं0 और खाता सं0 142 में दर्ज खसरा नं. 2876 रकबा 0.02 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.13 हैं0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.02 हैं0 प्रार्थीगण की खातेदारी होने से भू-अभिलेख निरीक्षक नागोला को 1500/-(एक हजार पांच सौ रूपये) मौका कमीशनर फीस पर नियुक्त कर भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त पडौसी खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता हैं। मौका कमीशनर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

(संजय मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:48:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner